

2020/90



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीदासीन अधिकारी-श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या- 88/2025

निर्णय दिनांक- 27-3-26

पटवारी हल्का करकेड़ी द्वारा प्रस्तुत खाता दुर्लभता प्रार्थना पत्र एवं भू.अ.नि. करकेड़ी की रिपोर्ट व तहसीलदार रूपनगढ़ की अनुशांसा सहित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-136 के अन्तर्गत इन्फ्राज शुद्धि हेतु प्रकरणा प्राप्त हुआ। तदनुसार निम्न तालिका में वर्णित शुद्ध प्रविष्टि को राजस्व रिकार्ड में शुद्ध क्रिये जानने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	संबंधित ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि	निर्णय उपरान्त शुद्ध प्रविष्टि
1	करकेड़ी	94, 93	सन्तरा देवी पत्नि भंवरलाल जाति रेगार	सन्तरा देवी पत्नि भंवरलाल जाति खटीक शेष यथावत्

क्रमांक- 1315-8

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार रूपनगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. रक्षित पत्रावली



उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)  
दिनांक- 27-3-26

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)  
रूपनगढ़ (अजमेर)